

पत्र संख्या : ८८/२७०५-यो०ज०सं०-०१/१२ २२४

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : १५-३-१३

विषय :- मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के मुख्य शीर्ष-२७०५-कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष-२७०५-कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-२७०५-कमान क्षेत्र विकास,	7.50	

कुल आवंटित राशि - ₹ सात लाख पचास हजार रुपये।

2. आवंटित राशि उपशीर्षान्तर्गत वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि०)(सुदूर कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि०)(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 25 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

228

रॉची, दिनांक :- 15-3-13

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा/रॉची/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

रॉची, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित उपायुक्त /सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

परिशिष्ट -1

विभागीय पत्रांक ..... २२८

दिनांक ..... १५-३-१३.....

का अनुलग्नक

मोंग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,

मुख्य शीर्ष-2705-कमान क्षेत्र विकास,

(वित्तीय वर्ष 2012-13)

(राशि लाख रु में)

क्र.	लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष	विपत्र कोड	बजट उपबंध	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्रिया	योजना का नाम	प्र. स्वी. की राशि एवं प्रसंग	मार्च 2012 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटित राशि				अनुक्रिति		
									पूर्व का आवंटन	आवंटित राशि	कुल आवंटन	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	₹ 784.00 लाख 22/05/06	42.36	0.00	7.50	7.50		
1	लघु शीर्ष-101-मधुराक्षी कमान क्षेत्र विकास, उप शीर्ष-01-मधुराक्षी सिंचाई योजना, विस्तृत शीर्ष-08-लेखा समायोजन, 70 राज्यांश	49P270500101 010870	80.00 दुमका	सिंचाई प्रमंडल, देवधर	मधुराक्षी सिंचाई योजना	कुल	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50			

आवंटित राशि - ₹ सात लाख पचास हजार रुपये।

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भद्राचार्य)  
उप सचिव (अभियंता)

(सुद्धाकर कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभियंता)

(एस० कौर शतपथी)  
प्रधान सचिव

(वी. सी. निगम)  
विशेष सचिव